



हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद अधिनियम 25 (2009) के तहत स्थापित)

(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)

गांव: जांट-पाली, जिला-महेन्द्रगढ़ (हरियाणा). 123031

Village: Jant-Pali, Distt: Mahendragarh (Haryana)-123031

No.: CUH/2021/Estt./T/604

Date: 27/07/2021

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या D.O. No. 152-8/2020(IC) दिनांकित 13.01.2021 के तहत एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व छात्रों को जोड़ने के लिए (For International Affairs and Alumni Connect at University Level), अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन कार्यालय की स्थापना (Establishment of an Office) के लिए किया जाता है:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. प्रो. नीलम सिंह सांगवान, आचार्य, जैव-रसायन विभाग, हकेंवि. | अध्यक्ष / नोडल अधिकारी |
| 2. डॉ. हरीश कुमार, सह-आचार्य, रसायन विभाग, हकेंवि. | सदस्य |
| 3. डॉ. अन्तर्देश कुमार, सह-आचार्य, जैव-रसायन विभाग, हकेंवि. | सदस्य |
| 4. डॉ. रविन्द्र कौर, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, हकेंवि | सदस्य |
| 5. डॉ. जसवन्त कुमार, सहायक आचार्य, भौतिक विभाग, हकेंवि | संयोजक |

(अमित सिन्धु)

सहायक कुलसचिव (स्थापना)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति सचिवालय (माननीय कुलपति के लिए सूचनार्थ), हकेंवि.।
2. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव के लिए सूचनार्थ), हकेंवि.।
3. वित्त अधिकारी, हकेंवि.।
4. समिति के सभी सदस्यों को।
5. सहायक कुलसचिव, स्थापना अनुभाग, हकेंवि.।
6. सहायक कुलसचिव, डेस्क अनुभाग, हकेंवि.।
7. प्रभारी, आईसीटी अनुभाग, (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु), हकेंवि.।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना)